न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :- 06/2019

उनवान

1. हरिकिशन अग्रवाल उर्फ नागरमल पुत्र स्व0 सत्यनारायण अग्रवाल जाति महाजन निवासी राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर — प्राथीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर — अप्रार्थीगण

उपस्थित 1 श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती इन्द्राज

आदेश दिनांक 15/02/2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.01है0, 2055 रकबा 0.74 है0 कुल किता 2 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा मे स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का लोक दस्तावेजात अनुसार व शिक्षा अनुसार नाम हरिकिशन अग्रवाल है जबकि घर का बोलता नाम नागरमल है यानि हरिकिशन उर्फ नागरमल एक ही व्यक्ति है सबूत के तौर पर सरपंच का प्रमाण पत्र पेश किया है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में नागरमल दर्ज होने तथा सरकारी दस्तावेज में हरिकिशन होने से सरकारी सहायता ऋण व सहकारिता विभाग के लाभ से वंचित होना पड रहा है जिस कारण प्रार्थी का नाम नागरमल की जगह हरिकिशन दर्ज किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अपने पत्र कमाक भू0अ0/2021/ 598 दिनांक 5.2.2021 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 2054, 2055 में प्रार्थी का नाम नागरमल दर्ज है तथा सरकारी दस्तावेज वोटर आई कार्ड आधार कार्ड , आय कार्ड आदि में हरिकिशन दर्ज है तथा हरिकिशन व नागरमल दोनों एक ही व्यक्ति है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में भी इस ओर ध्यान दिलाया कि उक्त नाम गलत दर्ज होने से सरकारी योजनाओं के लाभ व अन्य कार्य में कठिनाई आ रही है जबकि वास्तव नागरमल व हरिकिशन दोनों एक ही व्यक्ति है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का नाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड आदि में हरिकिशन पुत्र सत्यनारायण है तथा राजस्व रिकार्ड में नागरमल दर्ज है तथा दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का सरकारी दस्तावेज मे नाम हरिकिशन होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी 2054 रकबा 0.01है0, 2055 रकबा 0.74 है0 कुल किता 2 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में नागरमल पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर हरिकिशन उर्फ नागरमल पुत्र सत्यनारायण जाति महाजन निवासी राडावास के नाम दुरूस्ती करने के तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 15/02/2021 को सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर